प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2016–17 से 2021–22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिये लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।